समकक्ष न्यायदृष्टांत
2021:सी.जी.एच.सी. 9861

एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आपराधिक अपील क्रमांक 2618/1999

निर्णय हेतु सुरक्षित – 22.02.2021

निर्णय दिनांक – 09.06.2021

रोहित कुमार साहू, पिता झुनौराम साहू, उम्र 52 वर्ष, पटवारी हल्का नंबर 104, राजस्व मंडल लवन, ग्राम बड़जर, जिला रायुपर, मध्यप्रदेश (वर्तमान में छत्तीसगढ़)

—— अपीलकर्ता

विरूद्ध

मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा लोकायुक्त, विशेष पुलिस स्थापना, म.प्र., भोपाल, म.प्र.

—— प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता हेतु : डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अर्जित तिवारी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी हेतु : श्री प्रियांश गुप्ता, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह चंदेल
सी.ए.वी. निर्णय

1. यह अपील विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 7/1993 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद से अधिनियम) के अधीन दोषसिद्ध किया गया और निम्नानुसार सजा सुनाई गई:

दोषसिद्धि	सजा
अधिनियम की धारा 7 के अधीन	एक वर्ष के लिए कठोर कारावास और 1000/–रूपये का जुर्माना, चूक की शर्त के साथ
अधिनियम की धारा– 13(1)(घ) सहपठित	एक वर्ष के लिए कठोर कारावास और

समकक्ष न्यायदृष्टांत
2021:सी.जी.एच.सी. 9861

धारा– 13(2) के अधीन	1000 ⁄ –रूपये का जुर्माना, चूक की शर्त के साथ दोनों कारावास की सजाएं एक साथ चलाने हेतु निर्देशित।

2. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार प्रासंगिक समय में अपीलार्थी पटवारी हल्का क्रमांक 104, ग्राम लवन में पटवारी के पद पर कार्यरत् था। शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) के पक्ष में तहसीलदार ने प्रासंगिक नामांतरण अभिलेख में सुधार हेतु आदेश पारित किया था। दिनांक 28.10.1988 को शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी से मुलाकात कर सुधार हेतु बात की। अपीलार्थी ने 250 ⁄ –रूपये की रिश्वत की मांग की तथा दिनांक 01.11.1988 तक रिश्वत की राशि लेकर आने को कहा। शिकायतकर्ता चूंकि रिश्वत देना नहीं चाहता था उसने दिनांक 01.11.1988 को एक लिखित शिकायत (प्रदर्श पी.–3) पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त, रायपुर के समक्ष किया। प्रदर्श पी.–3 के आधार पर देहाती नालिसी (प्रदर्श पी.–11) पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण अधिकारी सी.के. तिवारी (अ.सा.–11) ने पंच साक्षी अजय अवस्थी (अ.सा.–3) एवं आर.पी. शर्मा (अ.सा.–4) को बुलाया। पंच साक्षीगण द्वारा शिकायतकर्ता के शिकायत (प्रदर्श पी.–3) के तथ्यों का सत्यापन किया गया। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने के लिए 100 ⁄ – रूपये के 2 करेंसी नोट और 50 ⁄ –रूपये का 1 करेंसी नोट पेश किया । उनके नंबर नोट किए गए और उन पर फिनोलफ्थेलिन पाउडर लगाया गया था। पंच साक्षीगण और शिकायतकर्ता के द्वारा ट्रैप कार्यवाही का निरूपण किया गया। इसके बाद, एक ट्रैप पार्टी ग्राम बगबूदा के लिए रवाना हुई। अजय अवस्थी (अ.सा.–3) और शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) ग्राम बगबूदा स्थित अपीलकर्ता के घर गए। अपीलकर्ता अपने घर में, बाहर के आंगन में बैठा हुआ था। शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) और अपीलकर्ता के बीच बातचीत हुई और उसके बाद बाबूराम (अ.सा.–6) ने रिश्वत के पैसे अपीलकर्ता को दिए, जिसे अपीलकर्ता ने अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) प्रांगण से बाहर आया और उसने ट्रैप पार्टी को इशारा किया, जिस पर ट्रैप पार्टी ने मौके पर जाकर अपीलकर्ता को पकड़ लिया। रिश्वत के पैसे अपीलकर्ता के कुर्ते की जेब से बरामद किए गए। अपीलकर्ता के हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए गए, जिस पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। अपीलकर्ता के कुर्ते और बरामद दागी पैसों को भी सोडियम कार्बोनेट के अलग–अलग घोल में डुबाया गया, जिस पर उनका रंग गुलाबी हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्य औपचारिकताएं पूरी होने पर ट्रैप पार्टी लोकायुक्त कार्यालय वापस आ गई। अन्वेषण के दौरान, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल से अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन पूर्व मंजूरी (प्रदर्श पी.–10) प्राप्त की गई। अन्वेषण पूरा होने पर अभियोग पत्र दाखिल किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए।

3. अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 11 साक्षीगण का न्यायालय में परीक्षण कराया। अपीलकर्ता का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपराध कारित करने से इंकार किया, निर्दोष होने और झूठे फंसाये जाने की दलील दी। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता का बचाव यह था कि उसने कभी भी रिश्वत की मांग नहीं की और न ही उसने रिश्वत के रूप में पैसे स्वीकार किए। वस्तुतः रिश्वत की मांग राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई थी और राजस्व निरीक्षक को बचाने के लिए उसके खिलाफ झूठा और मनगढ़ंत मामला तैयार किया गया है। ट्रैप के समय, शिकायतकर्ता ने जानबूझकर रिश्वत के पैसे उसके कुर्ते की जेब में रख दिये थे और उसके तुरंत बाद ट्रैप पार्टी वहां पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। अपीलकर्ता का यह भी बचाव था कि उसके खिलाफ जारी की गई मंजूरी (प्रदर्श पी.–10) अभियोजन के लिए वैध मंजूरी नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा अपने समर्थन में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विचारण पूरा होने पर, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और इस निर्णय के पहले पैराग्राफ में उल्लेखित अनुसार सजा सुनाई गई, इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गयी।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सबसे पहले दलील दी कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल से अपीलकर्ता के विरूद्ध अभियोजन के लिए प्राप्त मंजूरी (प्रदर्श पी.–10) अवैध है और इसलिए अभियोजन का पूरा मामला ही दूषित है। यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा–19 के प्रावधानों के अनुसार, यह आवश्यक है कि अभियोजन के लिए मंजूरी नियुक्त व्यक्ति को पदच्युत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (इसके बाद से 'भू–राजस्व संहिता') की धारा–104 के तहत पटवारी की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की

जाती है और इसलिए कलेक्टर पटवारी को हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इस संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के (1994) 2 एम.पी.जे.आर. 58 (चंद्रमणी प्रसाद विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य), (2010) 4 एम.पी.एल.जे. 439 (रवींद्र कुमार गुप्ता विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य) और (2003) 5 एम.पी.एल.जे. 545 (अशोक कुमार विरूद्ध बालमुकुंद) निर्णयों का हवाला दिया गया। वर्तमान मामले में अभियोजन की मंजूरी (प्रदर्श पी.–10) चूंकि विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल से प्राप्त की गई थी, जो कि अपीलार्थी/पटवारी की नियुक्ति और हटाने वाला प्राधिकारी नहीं था, इसलिए मंजूरी (प्रदर्श पी.–10) वैध नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष भी यह आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया और इसलिए न्याय की विफलता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अभियोजन के मामले के अनुसार किसी भी पंच साक्षी द्वारा अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की मांग करने और प्राप्त करने के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अपीलकर्ता से केवल दागी धन की बरामदगी ही संबंधित अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रतिद्वन्दी तर्कों को सुना है तथा साक्षीगण के बयानों और अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों सहित उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

8. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता प्रासंगिक समय पर पटवारी हल्का नंबर 104, ग्राम लवन में पटवारी के पद पर पदस्थ था। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अभियोजन की मंजूरी (प्रदर्श पी.–10) अपर सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा दी गई थी। मंजूरी के संबंध में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–19 के प्रावधानों को यहां पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैः

''19. **अभियोजन पूर्व स्वीकृति की आवश्यकताः–** (1) कोई न्यायालय धारा–

07, 10, 11, 13 और 15 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान जिसके संबंध में यह अधिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व स्वीकृति के बिना (लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में यथा उपबंधित के अतिरिक्त) नहीं करेगा–

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के मामलों के संबंध में नियोजित है और जो अपने पद से केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, केन्द्रीय सरकार,

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो राज्य के मामलों के संबंध में नियोजित है और जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, राज्य सरकार,

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी।

(2) जहां किसी कारण से इस बाबत् शंका उत्पन्न हो जाए, कि उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित पूर्व मंजूरी केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जानी चाहिए वहां ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध किया जाना अभिकथित है।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी––

(क) उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित मंजूरी में किसी अनियमितता लोप या मंजूरी के कारण अपील न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण, पुष्टिकर या अपील में, विशेष न्यायालय द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश तब तक परिवर्तित या उल्टा नहीं जाएगा, जब तक कि उस न्यायालय की राय में उसके कारण यथार्थ में न्याय नहीं हो सका;

(ख) इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय द्वारा प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी में किसी अनियमितता या लोप या त्रुटि के कारण रोका नहीं जाएगा जब तक कि यह समाधान न हो जाए कि ऐसी अनियमितता, लोप या त्रुटि के परिणामस्वरूप न्याय नहीं हो सका है,

(ग) इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही, को किसी न्यायालय द्वारा किसी, अन्य आधारों पर रोका नहीं जाएगा और किसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के अधिकारों का प्रयोग किसी जांच, सुनवाई, अपील या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अन्तर्वर्ती आदेश के संबंध में नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा– (3) के अधीन अवधारणों के लिए, कि ऐसी मंजूरी के अभाव या किसी अनियमितता, लोप या त्रुटि के कारण न्याय नहीं हो सका है, न्यायालय इन तथ्यों को विचार में लेगा की आपत्ति, किसी कार्यवाही के दौरान उठाई जा सकती थी और उठाई गई थी।

स्पष्टीकरण:–इस धारा के प्रयोजनों के लिए––

(क) ''त्रुटि'' में मंजूरी देने वाला प्राधिकारी की सक्षमता शामिल है;

(ख) ''अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी'' में किसी विहित प्राधिकारी के आवेदन पर किया जाना वाला अभियोजन की आवश्यकता का सन्दर्भ अथवा किसी विहित व्यक्ति द्वारा दी गई मंजूरी या इसी प्रकृति की अन्य अपेक्षा सम्मिलित है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पटवारी की नियुक्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा–104 के प्रावधान निम्नानुसार हैः

''104. पटवारी के हल्कों की विरचना तथा उनमें पटवारियों की नियुक्ति– (1) कलेक्टर समय–समय पर, तहसील के ग्रामों को पटवारी हल्कों में विन्यस्त करेगा और किसी भी समय, किसी विद्यमान हल्कों को समाप्त कर सकेगा।

(2) कलेक्टर भूमि–अभिलेख के रखने तथा उनके शुद्धिकरण के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए, जैसे कि राज्य सरकार विहित करे, प्रत्येक पटवारी हल्के में एक या अधिक पटवारियों की नियुक्ति करेगा।

(3) किसी प्रथा के अथवा किसी संधि, अनुदान या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति को विरासत द्वारा पटवारी के पद का उत्तराधिकारी होने के अधिकार के आधार पर पटवारी बने रहने या पटवारी नियुक्त किये जाने का कोई अधिकार या दावा प्राप्त नहीं होगा।''

10. चंद्रमणी प्रसाद (सुप्रा) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पटवारी को नियुक्त करने का अधिकार भू–राजस्व संहिता की धारा 104(2) के तहत कलेक्टर को

दिया गया है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि हटाए गए पटवारी को भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत अपील और पुनरीक्षण का अधिकार होगा।

11. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रविन्द्र कुमार गुप्ता (सुप्रा) के मामले में अभिनिर्धारित किया कि अनुविभागीय अधिकारी को पटवारी की नियुक्ति के संबंध में भू–राजस्व संहिता की धारा 104(2) के तहत कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जाहिर तौर पर अनुविभागीय अधिकारी के पास पटवारी की नियुक्त करने की शक्ति है, इसलिए उसके पास पटवारी की सेवाओं को बर्खास्त करने की शक्ति भी है।

12. अशोक कुमार (सुप्रा) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निम्नानुसार निर्णय दिया गया था:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> ''9. निःसंदेह, प्रत्यर्थी क्रमांक–01 एक पटवारी है। पटवारी की नियुक्ति मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा–104(2) के तहत की जा रही है, जो इस प्रकार हैः
>
> ''104. पटवारी के हल्कों की विरचना तथा उनमें पटवारियों की नियुक्तिः–
>
> (1) *****
>
> (2) कलेक्टर भूमि–अभिलेख के रखने तथा उनके शुद्धिकरण के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए, जैसे कि राज्य सरकार विहित करे, प्रत्येक पटवारी हल्के में एक या अधिक पटवारियों की नियुक्ति करेगा।
>
> (3) *****''
>
> इस प्रकार, पटवारी की नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी कलेक्टर है, न कि राज्य सरकार। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि पटवारी की सेवाएं कौन हटा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश सामान्य खंड अधिनियम की धारा–16 के अनुसार, नियुक्ति करने की शक्ति में निलंबित या बर्खास्त करने की शक्ति भी शामिल है, इसलिए पटवारी की सेवाएं हटाने और समाप्त करने की शक्ति कलेक्टर में निहित है।

10. धारा–197 दण्ड प्रक्रिया संहिता की उपधारा (1) में निहित प्रावधान को आकृष्ट करने के लिए, तीन शर्तें पहले से ही मानी जानी चाहिए। सबसे पहले, व्यक्ति को एक लोक सेवक होना चाहिए, दूसरा उसे सरकार की मंजूरी के बिना उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है, और तीसरा उसके द्वारा कारित अपराध उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का आशय रखते हुए किया जाना चाहिए। ये तीनों शर्तें एक साथ होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी क्रमांक–1 जो कि एक पटवारी है, न तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और न ही उसे हटाया जा
सकता है और इस प्रकार धारा–197 दण्ड प्रक्रिया संहिता की उपधारा (1) के तहत छूट आकृष्ट नहीं होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. भू–राजस्व संहिता की धारा–104(2) के प्रावधानों के अवलोकन तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि पटवारी की नियुक्ति के संबंध में कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी है, इसलिए कलेक्टर ही पटवारी के विरूद्ध अभियोजन मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, लेकिन वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने संबंधित कलेक्टर से अपीलकर्ता/पटवारी के विरूद्ध अभियोजन मंजूरी प्राप्त नहीं की है। अभियोजन पक्ष ने बल्कि अपर सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल से मंजूरी (प्रदर्श पी.–10) प्राप्त की है, इसलिए, मंजूरी (प्रदर्श पी.–10) अपीलकर्ता/पटवारी के विरूद्ध अभियोजन के लिए वैध नहीं है। आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि यह बिन्दु बचाव पक्ष द्वारा भी विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, लेकिन इस बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए विचारण न्यायालय ने इस बात पर विचार करते हुए कि अभियोजन मंजूरी किस प्रकार सिद्ध की जा सकती है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने मंजूरी (प्रदर्श पी.–10) को विधि के अनुसार सिद्ध किया है। अपर सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल अपीलकर्ता/पटवारी के अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी थे या नहीं, इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा कोई विवेचना नहीं की गई है और न ही इस संबंध में कोई निष्कर्ष दिया गया है, इसलिए मेरा विचार है कि इस मामले में न्याय की विफलता हुई है।

14. रिश्वत के पैसे की मांग और स्वीकृति के तथ्य पर विचार करते हुए, **(2009) 3 एस.सी.सी. 779 (सी.एम. गिरीश बाबू विरूद्ध सी.बी.आई., कोचीन, केरल उच्च न्यायालय)** में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः

> ''18. सूरजमल विरूद्ध राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1979) 4 एस.सी.सी. 725 में, इस न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि (एस.सी.सी. पृष्ठ 727, पैरा 2) केवल दागी धन की बरामदगी, जिन परिस्थितियों में इसे भुगतान किया गया था, अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब मामले में तात्विक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। रिश्वत के भुगतान को साबित करने या यह दिखाने के लिए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से धन को यह जानते हुए स्वीकार किया है कि यह रिश्वत है, ऐसे किसी भी सबूत के अभाव में केवल बरामदगी ही अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष के आरोप को साबित नहीं कर सकती है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **(2014) 13 एस.सी.सी. 55 (बी. जयराज विरूद्ध आंध्र प्रदेश राज्य)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः

> ''7. जहां तक धारा–7 के तहत अपराध का सवाल है, विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि उक्त अपराध के गठन के लिए अवैध परितोषण की मांग अनिवार्य है और केवल करेंसी नोटों की बरामदगी धारा–7 के तहत अपराध नहीं बन सकती जब तक कि यह संदेह से परे साबित न हो जाए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से पैसे यह जानते हुए स्वीकार किया है कि वह रिश्वत है। उपरोक्त स्थिति को इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए सी.एम. शर्मा विरूद्ध आंध्र प्रदेश राज्य, (2010) 15 एस.सी.सी. 1 और सी.एम. गिरीश बाबू विरूद्ध सी.बी.आई. (2009) 3 एस.सी.सी. 779 में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।
>
> 8. वर्तमान मामले में, जहां तक अभियुक्त द्वारा की गई मांग का सवाल है, शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने उस समय मौजूद किसी अन्य साक्षी से पूछताछ नहीं

की, जब कथित तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त को पैसे सौंपे गए थे, ताकि यह साबित हो सके कि यह अभियुक्त द्वारा की गई किसी मांग के अनुरूप था, जब शिकायतकर्ता ने खुद ही एलडब्ल्यू 9 के समक्ष प्रारंभिक शिकायत (प्रदर्श पी.–11) में जो कहा था, उससे इंकार कर दिया था और यह साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने कोई मांग की थी, तो अ.सा.–1 के साक्ष्य और प्रदर्श पी.–11 की सामग्री पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि उपरोक्त तथ्य अभियुक्त द्वारा कथित तौर पर की गई मांग का सबूत पेश करती है। इसलिए, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्ययालय ने अभियुक्त द्वारा की गई कथित मांग को साबित करने में सही नहीं माना। उपलब्ध एकमात्र अन्य तथ्य अभियुक्त के कब्जे से दागी मुद्रा नोटों की बरामदगी है। वास्तव में इस तरह के कब्जे को अभियुक्त ने खुद स्वीकार किया है। बिना किसी सबूत के आरोपी से करेंसी नोटों को अपने कब्जे में लेना और बरामद करना धारा–7 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। धारा–13(1)(घ)(i) और (ii) के तहत अपराध के लिए भी उपरोक्त बातें निर्णायक होंगी क्योंकि अवैध परितोषण की मांग के किसी सबूत के अभाव में भ्रष्ट या अवैध साधनों का इस्तेमाल या किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में पद का दुरूपयोग साबित नहीं हो सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जहां तक अधिनियम की धारा–20 के तहत अनुमेय अनुमान का सवाल है, ऐसा अनुमान केवल धारा–7 के तहत अपराध के संबंध में हो सकता है, न कि अधिनियम की धारा–13(1)(घ)(i) और (ii) के तहत अपराधों के संबंध में, किसी भी मामले में, अवैध परितोषण की स्वीकृति के सबूत पर ही अधिनियम की धारा–20 के तहत अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा परितोषण किसी आधिकारिक कार्य को करने या करने से मना करने के लिए प्राप्त किया गया था। अवैध परितोषण की स्वीकृति का सबूत तभी मिल सकता है जब मांग का सबूत हो। चूंकि वर्तमान मामले

में इसका अभाव है, इसलिए प्राथमिक तथ्य जिनके आधार पर धारा–20 के तहत कानूनी अनुमान लगाया जा सकता है, पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।''

16. **(2015) 10 एस.सी.सी. 152 (पी. सत्यनारायण मूर्ति विरूद्ध जिला पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश राज्य)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया थाः

''22. अधिनियम की धारा–7 और 13 की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझने के लिए इस न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक निरूपण में, बी. जयराज विरूद्ध आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 13 एस.सी.सी. 55 में स्पष्ट शब्दों में रेखांकित किया गया है कि मांग के सबूत के बिना अभियुक्त से मुद्रा नोटों का कब्जा और बरामदगी मात्र धारा–7 के साथ–साथ अधिनियम की धारा–13(1)(घ)(i) और (ii) के तहत अपराध स्थापित नहीं करेगी। यह प्रतिपादित किया गया है कि अवैध परितोषण की मांग के किसी सबूत के अभाव में, किसी भी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग या लोक सेवक के रूप में पद का दुरूपयोग साबित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, मांग का सबूत अधिनियम की धारा–7 और 13 के तहत अपराध के लिए एक अपरिहार्य अनिवार्यता और व्याप्त अधिदेश माना गया है। अधिनियम की धारा–20 परिकल्पित रूप से उपधारणा की अनुमति देता है, हालांकि यह केवल धारा–7 के तहत अपराध के लिए लागू है और अधिनियम की धारा–13(1)(घ)(i) और (ii) के तहत नहीं, यह किसी भी आधिकारिक कार्य को करने या करने से मना करने के लिए अवैध परितोषण की स्वीकृति के सबूत पर भी निर्भर है। इस बात पर जोर दिया गया कि अवैध परितोषण की स्वीकृति का ऐसा सबूत तभी लागू हो सकता है जब मांग का सबूत हो।

स्वाभाविक रूप से, यह माना गया कि मांग के साक्ष्य के अभाव में, अधिनियम की धारा–20 के तहत ऐसी विधिक उपधारणा भी दृष्टिगोचर नहीं होगी।

23. इस प्रकार, अवैध परितोषण की मांग का सबूत अधिनियम की धारा–7 और धारा–13(1)(घ)(i) और (ii) के तहत अपराध का मुख्य आधार है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और इसके अभाव में, स्पष्ट रूप से इसके लिए आरोप विफल हो जाएगा। अवैध परितोषण के रूप में कथित रूप से किसी भी राशि को स्वीकार करना या उसकी वसूली करना, मांग के सबूत के बिना, इस प्रकार, अधिनियम की इन दो धाराओं के तहत आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। परिणामस्वरूप, अवैध परितोषण की मांग को साबित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता सांघातिक होगी और अधिनियम की धारा–7 या 13 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति से राशि की वसूली मात्र से उसे इसके तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।''

17. इसके अलावा, **(2015) 11 एस.सी.सी. 314 (सी. सुकुमारन विरूद्ध केरल राज्य)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया थाः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''13. पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए उपर्युक्त प्रतिद्वंद्वी विधिक तर्कों और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के संदर्भ में, हमने अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष का परीक्षण किया है। अधिनियम की धारा–7 और 13(1)(घ) के प्रावधानों की विवेचना के बाद इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में लगातार यह प्रतिपादित किया गया है कि आरोपी द्वारा अवैध परितोषण की मांग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध का गठन करने के लिए अनिवार्य शर्त है। इस प्रकार, शिकायतकर्ता अ.सा.–2 से अवैध परितोषण स्वीकार करने के संबंध में अधिनियम की धारा–13(1)(घ) के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।''

18. **बी. जयराज केस** (सुप्रा) और **पी. सत्यनारायण मूर्ति केस** (सुप्रा) के फैसले को फिर से दोहराते हुए, **(2016) 3 एस.सी.सी. 108 (कृष्ण चंदर विरूद्ध दिल्ली राज्य),** सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः

''35. कानून की यह सुस्थापित सिद्धांत है कि रिश्वत के पैसे की मांग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा–7 और 13(1)(घ) के साथ धारा–13(2)

के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसी कानूनी सिद्धांत को इस न्यायालय ने बी. जयराज विरूद्ध ए.पी. राज्य, (2014) 13 एस.सी.सी. 55, ए. सुबैर विरूद्ध केरल राज्य, (2009) 6 एस. सी.सी. 587 और पी. सत्यनारायण मूर्ति विरूद्ध ए.पी. राज्य, (2015) 10 एस.सी. सी. 152 में माना है, जिस पर अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उचित रूप से भरोसा किया है।''

पैराग्राफ 39 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

''39. उपरोक्त कारणों के मद्देनजर, मामले में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि दोनों न्यायालयों ने अपीलकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता जय भगवान (अ.सा.–2) से अवैध परितोष की मांग के पहलू पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर भरोसा किया है, हालांकि इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं है और अपीलकर्ता को उसके विरूद्ध विरचित आरोपों के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता जय भगवान (अ.सा.–2) से अपीलकर्ता द्वारा की गई रिश्वत के पैसे की मांग के तथ्य को साबित करने में विफल रहा है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा–13(2) के साथ धारा–7 और 13(1)(घ) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए अनिवार्य शर्त है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश {कृष्ण चंदर विरूद्ध दिल्ली राज्य, 2014 एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 2312} न केवल त्रुटिपूर्ण है बल्कि विधिक त्रुटि से ग्रस्त है और इसलिए, इसे अपास्त किया जा सकता है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. हाल ही में, **(2021) 3 एस.सी.सी. 687 (एन. विजयकुमार विरूद्ध तमिलनाडु राज्य)** में, **सी.एम. गिरीश बाबू केस** (सुप्रा) और **बी. जयराज केस** (सुप्रा) के फैसले को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय अभिनिर्धारित किया है कि:

''26. यह भी समान रूप से स्थापित है कि मात्र बरामदगी से अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष का आरोप साबित नहीं हो सकता। सी.एम. गिरीश बाबू विरूद्ध सी.बी.आई., (2009) 3 एस.सी.सी. 779 और बी. जयराज विरूद्ध ए.पी. राज्य, (2014) 13 एस.सी.सी. 55 में इस

न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है। इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में धारा–7, 13(1)(घ) के तहत मामले पर विचार करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–(i) और (ii) में यह दोहराया गया है कि आरोप को साबित करने के लिए, यह उचित रूप से संदेह से परे साबित होना चाहिए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए, जबकि वह जानता था कि यह रिश्वत है। अवैध रिश्वत की मांग के सबूत का अभाव और केवल करेंसी नोटों का कब्जा या बरामदगी ऐसे अपराध को बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उक्त निर्णयों में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि अधिनियम की धारा–20 के तहत उपधारणा भी अवैध रिश्वत की मांग और स्वीकृति साबित होने के बाद ही किया जा सकता है। यह भी काफी हद तक स्थापित है कि आपराधिक न्यायशास्त्र में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निर्दोषता की प्रारंभिक उपधारणा बरी होने से दोगुनी हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. बी. जयराज विरूद्ध ए.पी. राज्य, (2014) 13 एस.सी.सी. 55 में फैसले के प्रासंगिक पैरा 7, 8 और 9 इस प्रकार हैंः (एस.सी.सी. पृ. 58–59)

''7. जहां तक धारा–7 के तहत अपराध का संबंध है, विधि में यह स्थापित स्थिति है कि अवैध परितोषण की मांग उक्त अपराध का गठन करने के लिए अनिवार्य है और केवल करेंसी नोटों की बरामदगी धारा–7 के तहत अपराध नहीं बन सकती है जब तक कि यह सभी उचित रूप से संदेह से परे साबित नहीं हो जाता है कि आरोपी ने स्वेच्छा से पैसा यह जानते हुए स्वीकार किया था यह रिश्वत है। उपरोक्त स्थिति इस न्यायालय के कई फैसलों में संक्षेप में बताई गई है। उदाहरण के तौर पर, सी.एम. शर्मा विरूद्ध में फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। ए.पी. राज्य, (2010) 15 एस.सी.सी. 1 और सी.एम. गिरीश बाबू विरूद्ध सी.बी. आई., (2009) 3 एस.सी.सी. 779.

8. वर्तमान मामले में, जहां तक आरोपी द्वारा की गई मांग का सवाल है, शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया। अभियोजन पक्ष ने उस समय मौजूद किसी अन्य साक्षी से पूछताछ नहीं की, जब शिकायतकर्ता द्वारा कथित तौर पर आरोपी को पैसे सौंपे गए थे, ताकि यह साबित हो सके कि आरोपी द्वारा की गई किसी मांग के तहत यह पैसे दिए गए थे, जब शिकायतकर्ता ने खुद ही एल.डब्ल्यू.–9 के समक्ष प्रारंभिक शिकायत (प्रदर्श पी.–11) में कहीं गई बातों से इंकार कर दिया था और यह साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने कोई मांग की थी, तो अ.सा.–1 के साक्ष्य और प्रदर्श पी.–11 की सामग्री पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि उपरोक्त सामग्री अभियुक्त द्वारा कथित रूप से की गई मांग का सबूत पेश करती है। इसलिए, हम यह मानने के लिए इच्छुक है कि विद्वान विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय भी अभियुक्त द्वारा कथित रूप से की गई मांग को साबित करने में सही नहीं थे। उपलब्ध एकमात्र अन्य सामग्री अभियुक्त के कब्जे से दागी मुद्रा नोटों की बरामदगी हैं वास्तव में इस तरह के कब्जे को अभियुक्त ने खुद स्वीकार किया है। मांग के सबूत के बिना अभियुक्त से मुद्रा नोटों का केवल कब्जा और बरामदगी धारा–7 के तहत अपराध को साबित नहीं करेगी। धारा–13(1)(घ) के तहत अपराध के मामले में भी उपरोक्त निर्णायक होगा। (i) और (ii) का संबंध इस बात से है कि अवैध परितोषण की मांग के किसी सबूत के अभाव में, किसी भी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों का प्रयोग या लोक सेवक के रूप में पद का दुरूपयोग स्थापित नहीं किया जा सकता है।

9. जहां तक अधिनियम की धारा–20 के तहत अनुमेय अनुमान का सवाल है, ऐसा अनुमान केवल धारा–7 के तहत अपराध के संबंध में हो सकता है, न कि अधिनियम की धारा–13(1)(घ)(i) और (ii) के तहत अपराधों के संबंध में किसी भी मामले में, अवैध परितोषण की स्वीकृति के सबूत पर ही अधिनियम की धारा–20 के तहत

अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा परितोषण किसी आधिकारिक कार्य को करने या करने से मना करने के लिए प्राप्त किया गया था। अवैध परितोषण की स्वीकृति का प्रमाण केवल तभी दिया जा सकता है, जब मांग का सबूत हो। चूंकि वर्तमान मामले में इसका अभाव है, इसलिए प्राथमिक तथ्य जिनके आधार पर धारा–20 के तहत विधिक अनुमान लगाया जा सकता है, पूरी तरह से अनुपस्थित है।''

इस न्यायाल द्वारा लिया गया उपर्युक्त दृष्टिकोण अपीलकर्ता के मामले का पूर्ण समर्थन करता है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किए गए प्रमुख साक्षीगण के कथनों में हमारे द्वारा ऊपर देखे गए विरोधाभाषों को देखते हुए, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की राशि और सेलफोन की मांग और स्वीकृति, उचित रूप से संदेह से परे साबित नहीं होती है। अभिलेख पर मौजूद ऐसे साक्ष्यों को देखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया बरी होना एक ''संभावित दृष्टिकोण'' है, ऐसे में उच्च न्यायालय का निर्णय (तमिलनाडु राज्य विरूद्ध एन. विजयकुमार, 2020 एस.सी.सी. ऑनलाईन मैड 7098) अपास्त करने योग्य है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि करने से पहले, न्यायालयों को साक्ष्यों को परीक्षण करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि हो जाती है, तो यह व्यक्ति पर समाज में एक सामाजिक कलंक लगाता है, साथ ही प्रदान की गई सेवा पर गंभीर प्रभाव भी डालता है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि चाहे विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संभावित दृष्टिकोण हो या नहीं, इस बारे में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं हो सकता है और प्रत्येक मामले का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, उसके गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण के आलोक में, अब मैं वर्तमान मामले के साक्षीगण के तथ्यों और कथनों का परीक्षण करूंगा। प्रारंभिक मांग के संबंध में, शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) ने कथन किया है कि जब वह नामांतरण अभिलेख

में सुधार के लिए अपीलकर्ता से मिला, उस समय राजस्व निरीक्षक भी वहां मौजूद थे। उस समय, अपीलकर्ता/पटवारी ने उसे 2–4 दिन बाद आने के लिए कहा, जब वह फिर से अपीलकर्ता से मिला, तो उसने 250/–रूपये की राशि की मांग की। इस पर उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत (प्रदर्श पी.–3) की। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा 250/–रूपये की मांग उससे की गई थी। वह नहीं जानता है कि मांग अपीलकर्ता के लिए थी या राजस्व निरीक्षक के लिए। अपने कथन में इस साक्षी ने कहीं भी यह नहीं बताया है कि अपीलकर्ता ने किस उद्देश्य से मांग की थी। अपने मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत (प्रदर्श पी.–3) को किसी भी पंच साक्षी ने नहीं पढ़ा है, लेकिन दोनों पंच साक्षी अजय अवस्थी (अ.सा.–3) और आर. पी. शर्मा (अ.सा.–4) ने यह कहा कि उन्होंने शिकायत (प्रदर्श पी.–3) पढ़ी थी और शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) से इसकी विषय–वस्तु की पुष्टि की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार ट्रैप कार्यवाही के समय पंच साक्षी अजय अवस्थी (अ.सा.–3) शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) के साथ अपीलकर्ता के घर में घुसे और वहां शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) ने रिश्वत की रकम अपीलकर्ता को दी और उस समय अजय अवस्थी (अ.सा.–3) वहां मौजूद था। इस बिंदु पर अन्वेषण अधिकारी सी.के. तिवारी (अ.सा.–11) और अन्य पंच साक्षी आर.पी. शर्मा (अ.सा.–4) ने कहा कि शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) के साथ, पंच साक्षी अजय अवस्थी (अ.सा.–3) भी अपीलकर्ता के घर में घुसे थे, लेकिन शिकायकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) ने कथन किया है कि वह अकेले ही अपीलकर्ता के घर में घुसा था और अजय अवस्थी (अ.सा.–3) उससे लगभग 100 मीटर दूर बाहर खड़ा हुआ था। अजय अवस्थी (अ.सा.–3) ने भी शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) के उपरोक्त कथन का समर्थन किया और कथन किया कि शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) अकेले ही अपीलकर्ता के घर में घुसा था और वह अपीलकर्ता के घर से लगभग 70–80 फीट की दूरी पर था। अजय अवस्थी (अ.सा.–3) ने आगे कथन किया है कि न तो उसकी मौजूदगी में रिश्वत के पैसे के लेन–देन के बारे में कोई बातचीत हुई और न ही उसने शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच रिश्वत के पैसे के कथित लेन–देन को देखा था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस बिंदू पर उपरोक्त सभी अभियोजन पक्ष के साक्षीगण के कथन पूरी तरह से विरोधाभाषी है। उपरोक्त साक्षीगण के न्यायालयीन कथनों से यह स्पष्ट है कि पंच

समकक्ष न्यायदृष्टांत
2021:सी.जी.एच.सी. 9861

साक्षीगण में से कोई भी अपीलकर्ता के घर में नहीं घुसा था और न ही उनमें से किसी ने शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच रिश्वत के पैसे के कथित लेन–देन को देखा या शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच रिश्वत के बारे में कोई बातचीत सुनी।

22. अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 5 में शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) ने यह तथ्य स्वीकार किया कि जब वह अपीलकर्ता के घर के आंगन में दाखिल हुआ उस समय वहां अपीलकर्ता के साथ हंसू साहू, रेशम सतनामी, जेठू साहू और खिलावन विश्वकर्मा भी बैठे थे। अन्वेषण अधिकारी सी.के. तिवारी (अ.सा.–11) ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया, लेकिन अपीलकर्ता के साथ उसके घर के आंगन में बैठे उपरोक्त 4 व्यक्तियों में से किसी को भी इस मामले में साक्षी नहीं बनाया गया है और न ही उनके पुलिस बयान दर्ज किए गए है। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 5 में ही शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) ने कथन किया है कि वह खुद अपीलकर्ता के पास गया था और उससे कहा था कि वह पैसा लेकर आया है उस समय अपीलकर्ता ने इस साक्षी से पैसे की मांग नहीं की थी। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि वह अपीलकर्ता को एक कमरे में ले गया और वहां उसने उसे पैसे दिए। उस समय भी अपीलकर्ता ने इस साक्षी से कोई मांग की थी, इस संबंध में इस साक्षी द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में कुछ भी नहीं कहा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपरोक्त साक्ष्यों की सूक्ष्म विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक मांग के संबंध में शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) और पंच साक्षीगण अजय अवस्थी (अ.सा.–3) और आर.पी. शर्मा (अ.सा.–4) के कथनों में तात्विक विरोधाभाष है। इसके अलावा, ट्रैप के समय पंच साक्षी अजय अवस्थी (अ.सा.–3) की उपस्थिति में मांग के संबंध में भी, अन्वेषण अधिकारी सी.के. तिवारी (अ.सा.–11), पंच साक्षीगण आर.पी. शर्मा (अ.सा.–4) और अजय अवस्थी (अ.सा.–3) और शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) के कथनों में तात्विक विरोधाभाष है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि ट्रैप के समय केवल शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) ही अपीलकर्ता के घर में प्रवेश किया था। शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) ने अपने न्यायालयीन कथन में इस संबंध में कुछ भी कथन नहीं किया है कि उस समय घर के अंदर अपीलकर्ता ने स्वयं शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता बाबूराम (अ.सा.–6) और अन्वेषण अधिकारी सी.के. तिवारी (अ.सा.–11) के कथनों से यह स्पष्ट है कि ट्रैप के समय अपीलकर्ता के

साथ 4–5 व्यक्ति भी बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद अभियोजन पक्ष ने उनमें से किसी को भी इस मामले में साक्षी नहीं बनाया और न ही उनके बयान दर्ज किए। यह संदेहास्पद है कि अपीलकर्ता ने उन व्यक्तियों की मौजूदगी में रिश्वत की मांग की होगी और स्वीकार की होगी। इसलिए, मेरे विचार से, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ रिश्वत की मांग और स्वीकार करने का अपना मामला साबित नहीं कर पाया है। अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

24. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय के फैसले को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

सही/–
(अरविंद सिंह चंदेल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**